न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1988

दिनांक 07/09/2022

प्रार्थीगण :-

1.उमाराम 2.मगनाराम 3.रामाराम पि.दमाराम
4.रम्भादेवी पत्नि दमाराम 5.जेताराम 6.हडुमानराम
पि.मालाराम 7.नोजी पत्नि मालाराम, जाति जाट
निवासी जाखड़ों की ढाणी, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1.पूराराम पुत्र वीरमाराम 2.धमुराम पुत्र अर्जनराम
3.हनुमानराम पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट,
निवासी जाखड़ों की ढाणी,
4.खेताराम 5.किस्तुराराम पि.प्रहलादराम,
जाति जाट, निवासी बीजराड़
6.जोगाराम पुत्र अचलाराम, जाति जाट,
निवासी भोजारिया, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 70/2022

दिनांक : **07.09.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जाखडो की ढाणी के खेत खसरा सं. 376/326 रकबा 22.8728 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन — seal)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
(उपखण्ड अधिकारी चौहटन — stamp)

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1989 to 1992

दिनांक 07/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण उमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण पूराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.11.21 15:38:46 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
(उपखण्ड अधिकारी चौहटन — stamp)